-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.01.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना पैलानी पुलिस द्वारा ट्रक चालक के साथ मारपीट करने वाले वांछित शातिर अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त पर हत्या, मारपीट, गैंगस्टर एक्ट आदि सहित आधा दर्जन से अधिक मामलें है दर्ज। अभियुक्त को वर्ष 2018 में हत्या के मामलें हो चुकी है आजीवन कारावास की सजा, वर्तमान में जमानत पर था बाहर।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना पैलानी पुलिस द्वारा ट्रक चालक के साथ मारपीट करने वाले मुख्य वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 03.12.2025 को थाना पैलानी क्षेत्रान्तर्गत सिंधनकला के पास कुछ लोगो द्वारा ट्रक चालक के साथ मारपीट की घटना कारित कि गई थी तत्पश्चात ट्रक चालक की सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना में शामिल 02 अभियुक्तों को दिनांक 04.12.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया था जबकि मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में थाना पैलानी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुख्य अभियुक्त को ग्राम सिंधनकला से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी में उनके कब्जे से एक अवैध तमंचा व दो जिन्दा कारतूस बरामद हुए है। बता दें कि अभियुक्त पर पूर्व में भी हत्या, मारपीट गैंगस्टर एक्ट आदि सहित आधा दर्जन मामलें दर्ज है। जिसमें वर्ष 2018 में हत्या के मामलें में अभियुक्त आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है और वह वर्तमान में जमानत पर बाहर था।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिंदा कारतूस315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पिंटू पुत्र रणधीर निवासी सिंधनकला थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 307/25 धारा 191(2)/191(3)109/115(2)/324(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पिन्टू उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0- 54/2006 धारा 308/323/504 भादवि व 3(1)X एससी/एसटी एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 79/10 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0- 111/10 धारा 10(जी) थाना पैलानी जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0- 145/10 धारा 302/411/460 भादवि थाना पैलानी जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0- 184/10 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0- 108/23 धारा 308/323/504/506 भादवि थाना पैलानी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री राजेश वर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना पैलानी
2. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार
3. हे0 कां0 विपुल मिश्रा
4. कां0 सतेन्द्र पाल